GOVERNMENT MOTION—

Re. Thirtieth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1989-91 (Contd.)

श्री आर० एन० आर्य (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना। ...**(व्यवधान)**

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, does it apply only to the Members and not to the Minister?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): The reply will be on Monday. *(Interruptions)* The other Ministers are noting down the points.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: No, no. I know the Minister has taken permission from the Chair before leaving. But for how long will the Minister remain absent? The whole debate has taken place in the absence of the minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Anyway, he is the last speaker. We can understand that. The damage has been done. Let him complete his speech. *(Interruptions)*

श्री आर० एन० आर्य: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हम कितना चले यह महत्वपूर्ण नहीं है....**(व्यवधान)** मैं दो-तीन मिनट में खत्म कर देता हूं। ....**(व्यवधान)**

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Let not the subject be treated like that. That is what pains me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): I agree with you. But he is the last speaker. Let him complete his speech. Two Ministers are there. They are noting down the points.

श्री आर० एन० आर्य (उत्तर प्रदेश): महोदय, हम कितना चले, यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितना सही दिशा में चले, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे विद्वान सदस्यों ने यहां अपनी बात रखी है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेह अपनी रिपोर्ट में ही श्री बी० डी० शर्मा ने व्यक्त किया है पेज नंबर 2 पर,

Any medicine which is used in a right and proper way may become nectar. If the same medicine is used in a wrong way, it becomes just like poison. *Interruptions).* कोई भी नियम, जैसे कोई भी दवा अगर सही तरीके से प्रयोग की जाती है तो अमृत बन सकती है और वही दवा अगर गलत तरीके से प्रयोग होती है तो वह विष बन जाती है, सही तरीके से लागू करने पर प्रभावी होते हैं। हम अपने कंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्ज के डिवैलपमेंट में अनटचेबिलिटी एक्ट के ...**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): Mr. Arya, just a minute. Yes, Mr. Krishna, what do you want to say?

SHRI S.M. KRISHNA (Karnataka): Sir, I know that this point has been raised by my friend, Shri H. Hanumanthappa. But this matter is too serious to be brushed aside. According to us, the subject which we are discussing is a very important subject. I can understand if the Minister, who is in charge of this portfolio, has left the House for ten minutes or fifteen minutes for a cup of coffee or for something else. But from 3 o'clock if the Minister who is supposed to reply to the debate is not to be found on the Treasury Benches, what importance is she attaching to this discussion? We would like to know where she has gone. The Hosue has a right to know.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): Mr. Krishna, may I reply? When she left the House, I was not in the Chair. I think, she has taken the permission from the Chair and left. So, I do not know for how long she has taken the permission. ...*(Interruptions)*...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: If the Chair has given permission, it is wrong, Sir. ...*(Interruptions)*... If the Chair has given permission, it is wrong. We know how the permission was sought, how the permission was given. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): I do not know for how long the permission was

taken, whether it was for the whole day or for the duration of the debate or whether she would come back. *(Interruptions)*

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, we want the presence of the Minister ...*(Interruptions)*...

SHRI S.M. KRISHNA: Let us adjourn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): No, no, no. Anyway, Mr. Arya is the last speaker, and I am sure, the Minister will be present on Monday to reply. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.M. KRISHNA: No, no; there is no point in discussing it in the absence of the Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: We could have postponed the subject. If the Minister has any other urgent business, we can accommodate. ...*(Interruptions)*... We could have postponed the subject. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I have a feeling that the hon. Members want to rise now. That is the point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): No, no, no. I am not against it, but Mr. Arya is the last speaker. The reply will be given on Monday. Mr. Arya needs only two minutes more. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Mr. Jethmalani, permission was given at 4 o'clock, not at 3 o'clock. She left the House at 3 o'clock.

SHRI RAM JETHMALANI: In all fairness to the lady, I should say she was here, she had mentioned the reason why she had to go away from the House. And the reason was mentioned to the House. The hon. Vice-Chairman was present, and she was permitted to leave, and she left the House.

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: She left at 3 o'clock. Now it is 5 o'clock.

(Interruptions)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, I was very much present in the House. I know how the permission was sought, to whom she entrusted the charge. Even the Minister who took over is also not present! जेठमलानी जी, आप को मालूम नहीं है, वह मिनिस्टर किस को चार्ज देकर गए।

That Minister can't hand over to you.

SHRI RAM JETHMALANI: Why? A delegate can't delegate!

SHRI H. HANUMANTHAPPA: He has also gone. ...*(Interruptions)*... Sir, that Minister is also not here. What pains me is the way the subject is being treated. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAM JETHMALANI: What is the principle?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): You have just amended the Bill.

SHRI S.M. KRISHNA: Now you have a blank sheet of paper in your hand and you are trying to ...*(Interruptions)*...

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I want to pass it on to them. They should know that I am taking notes. Can I read it out?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): No. I understand the sentiments of the House. I sympathise with all of you. Mr. Arya is the last speaker. ...*(Interruptions)*... The hon. Minister was not present for a long time. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAM JETHMALANI: Not much point was made by Mrs. Patel who talked of mainly a time-bound improvement.

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Sir, the subject should not be taken by the Minister casually.

...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN. F. FERNANDES): I understand your sentiments. Let me speak. Let me say something. ...*(Interruptions)*... Mr. Ravi, let me speak. Let me say something. You know I understand your senti-

ments. I know what you are saying is right. I am not against it, but I don't know the reasons furnished by the hon. Minister to the Chair for leaving the House. I was not in the Chair. Mr. Arya is the last speaker. We can give him two minutes and I am sure, on Monday the hon. Minister herself will be present in the House to reply. I don't think Mr. Jethmalani will reply on her behalf! She will be here. So, Mr. Arya, Please continue.

SHRI S. R. BOMMAI: Sir, I want to say something.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): On what?

SHRI S.R. BOMMAI: On agriculture.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): No, no, no. That is over. The hon. Agriculture Minister has Left. We have resumed the other debate. let him continue.

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, I am on a point of order. Yesterday and today, two things have happened. We don't want to make it precedent. The point is, yesterday, in the midst of the Calling Attention a Bill was introduced. We graciously allowed that. Okay. Today, in the midst of the discussion on the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, another Bill is being passed by us. This is the last. In future, this house will not agree to any such intervention by the Ministers saying "We are busy, we have to introduce a Bill, we have to pass a Bill." Sir, this is the last, and the last for ever. I want this to go on record, we will not allow that. We will not allow this House to run if they resort to that practice. This is a warning to the Treasury Benches.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): I agree with you.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, we will not allow to run the House if they repeat this practice because the hon. Minister, Mrs. Maneka Gandhi, has shown disrespect to the House and to the subject. That is why I am giving this warning.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Okay. Mr. Arya, please conclude within two minutes.

श्री आर॰ एन॰ आर्य: उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका समय लेकर के मैंने अपने को आभारी समझा है क्योंकि आज थोड़ा समय मैं भी बोलना चाह रहा था। यह इतना दर्दनाक विषय है कि आजादी के पूर्व और आजादी के बाद, आजादी के पूर्व की स्थिति में मानव जीवन से गिरकर पशु जीवन पर जीने वाले लोगों के ऊपर एक चिंतन हुआ था और सन 1946 में बाबा साहब डा॰ भीमराव अम्बेडकर के सामने कैबिनेट मिशन जब आया तो उन्होंने यह प्रश्न रखा था — "What are the measures by which the Scheduled Castes' position may be elevated?"

तो उस वक्त बाबा साहब डा॰ अम्बेडकर ने कहा था— "Education is first. Well-educated persons should be posted in key posts."

अगर वह की-पोस्ट पर पहुंचते है तो जो गल्तियां हैं उनको वह स्वयं देखें और आगे के लिए उनको दूर करें। इसके साथ ही यह बात भी व्यक्त की गई थी कि हमारी जो इंपलीमेंटेशन है, वह हमारी नियत पर निर्भर है कि नियत कैसी है। अगर हमारी नियत अच्छी है तो कोई कानून हमारे लिए कारगर तरीके से लागू हो सकता है और अगर हमारी सरकार की नियत अच्छी नहीं हैतो कोई कानून कारगर तरीके से लागू नहीं हो सकता।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1955 में अनटचेबिलिटी एक्ट बना, जो अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाया। उसके आगे फिर वर्ष 1975 में सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट बना और उसके बाद 1989 में यह प्रिवेशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट बना। इस तरह एक्ट बनते गए, लेकिन इसमें आज तक कोई भी आदमी पनिश नहीं हुआ। जिसने क्राइम किया, उसमें से कोई भी पनिश नहीं हुआ और इस पनिशमेंट न मिलने की वजह से एक मानसिकता बनती गई, जिससे इन पर क्राइम होता रहा। जहां क्राइम हो रहा हो, जहां अत्याचार हो रहा हो, जहां अस्मत लुट रही हो, वहां अगर किसी को कोई पनिशमेंट न मिले तो उस कानून की प्रोग्रेस के बारे में सोचना एक बहुत ही दूभर बात लगती है। मैं महसूस करता हूं कि इन क्राइम पर कोई पनिशमेंट न होते हुए ह्युमन राइट्स कमीशन को लिखा जाता है। यहां तक कि ह्युमन

राइट्स कमीशन बैठता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, हमारे पास तमाम ऐसे लेटर हैं, डायरेक्शन हैं इनकी, उनको और पर्सनिल डिपार्टमेंट के नियमों को भी वायोलेट किया जाता है, उनको नहीं माना जाता है। पर्सनिल डिपार्टमेंट के ऐसे भी नियम हैं कि जहां सेलेक्शन की बात आती है तो उन सेलेक्शन में भी रिजर्वेशन के बारे में नियमों को नहीं माना जाता।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं इस मामले में कि जिस प्रकार से कंस्ट्रीट्यूशन में इनके सेफगार्ड की बात हुई है, जैसे आर्टिकल 16(4), 335, 338, 340, यह आर्टिकल सिर्फ शेड्युल्ड कास्ट की बात नहीं कहता बल्कि इसमें यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति, जो लोग पिछड़े हैं, जो कि मानवीय मूल्यों के नीचे जी रहे हैं, उन सबके बारे में सोचा जाए, उसके लिए कमीशन बनाया जाए और यह आर्टिकल 340 इसलिए बनाया गया। जो कमीशन बनता है वह इसलिए कि जो हमारी कुछ शार्टकमिंग्स रह गई है उसमें उनका कंसीड्रेशन हो और उनसे जो नियम निकल कर आएं वह लागू हों। यह जो कमीशन बना है, वह वर्ष 1989 से 1991 के बीच में पूरा हुआ है। मुझे बड़ा दुख होता है कि यह उन्होंने तीन भागों में बैक ग्राऊण्ड बनाया है और तीन भागों की अपनी रिपोर्ट में अपना दर्द व्यक्त किया है। मिस्टर बी०डी० शर्मा लिखते हैं पेज नंबर 2 से 11 पर, कि हमें ऐसा विश्वास नहीं होता कि इसको कोई अच्छी तरह से सुनता है, लागू करता है। मुझे तो यहां तक विश्वास है कि कोई अत्याचार करने में हेजीटेट ही नहीं करता। अगर कोई बलात्कार करता है तो यह समझता है कि कोई खेल हो गया और यहां तक कि उनकी सुनवाई करने के लिए एफ०आई०आर० तक भी नहीं लिखी जाती। जिस प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उसमें बहुत ही पैथेटिक तौर से सबमिशन राष्ट्रपति महोदय को करते हैं। 10 फरवरी 1991 में पृष्ठ 11 पर तो उन्होंने कहा कि पहले भी अनेक रिपोर्ट दी गई, कहीं ऐसा न हो कि मेरी रिपोर्ट भी उसी प्रकार से संवैधानिक रिक्तता रख दी जाए। मैंने बड़े मन से इस रिपोर्ट को तैयार किया है। आज यहां उसकी सुनवाई सात साल के बाद हो रही है। उसकी सुनवाई में कितना हम डीप ईयर हैं, कितने संवेदनशील हैं। किसी चीज की संवेदनशीलता उसकी सक्षमता से नहीं आंकी जा सकती, कौन आदमी कितना सक्षम है यह उसकी संवेदनशीलता के आधार पर समान हित साध्यता पर आंका जाना चाहिए। लंगड़े की दौड़ लंगड़े के साथ होनी चाहिए, दो टांग वालों के बीच नहीं होनी चाहिए। इसी को आगे स्वीकार करते हुए जनवरी, 1998 में अभी यह रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई हैं, उसमें भी शंकाएं पैदा की गई हैं। इसके पैरा 2, पैरा 6 और पैरा 13 में जो नियमावली है पर्सोनिल डिपार्टमेंट की या उनके शेडयुल्ड कास्टस रिजर्वेशन रोस्टर की बात है, उसमें उन्होंने संदेह व्यक्त किया है और यह कहा है कि इनको अच्छी तरह से लागू होना चाहिए और खासतौर से जो नियमावली को लागू नहीं करता, उसको पनिश करना चाहिए। "Those people who are not applying the rules and directions of the Department and the directions of the Commission must be punished." तो इसमें कोई प्रावधान आज तक नहीं हुआ है। और कमीशन लास्ट में लिखता है कि उनको लीगल राइट नहीं है, कोई लिगेसी उनको नहीं मिलती कि वह किस प्रकार से लागू कराएं और लास्ट में कमीशन लेमेटिक पोजीशन में आ जाता है कि हमारा दिया हुआ जो डायरेक्शन है, वह मान्य है या नहीं। तो हमारे साथियों ने अनेक विषयों पर बोला है, मैं इस विषय को इस लेवल पर ले जाना चाहता हूं कि अगर हमको प्रि-इंडिपेंडेस मानव न समझा गया तो विदेशियों की बात हो सकती है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेस अगर हमको मानव न समझा जाए तो यह तो बहुत बुरी बात है।

Caste is a demon which we have to kill to create a homogenous society.
हैट्रोजीनस सोसाइटी में हम जी रहे हैं। इसलिए हम इस चीज को देख रहे हैं। पैरा नम्बर 28, पैरा नम्बर 32 और 37 और इसके बाद जो हमारे रिज़र्वेश के मामले में है, अर्थ के मामले में है, इन सारी बातों को आप लोगों ने बड़ी विद्वता से रखा है।

There should be reservation in the private sector and the Government sector. There should be roster implementation and backlog should be cleared. There should be a special drive for quota.

तो मैं चाहता हूं कि उस प्रकार की मेंटेलिटी, जिस तरह से हमारे पुराने लोग कहते रहे हैं, वह दोबारा इसमें न आए। क्या कहते रहे हैं, यह आपको दुखद शब्दों में कहकर मैं बैठता हूं:—

उच्छिष्टमन्नम् दातव्यम् जीर्णानि बसनानि च।
सहासनै उत्तष्ठित्वा कट्याकृतांगो निर्वास्यावकर्तयेत्।
.....स्त्रीशूद्रैन धीयताम्।।

—मनुस्मृति

"इनको फटकन दो, इनको जूठा दो, फटा-पुराना कपड़ा दो। बराबर बैठना चाहें तो इनको दराचा दो, बाहर निकाल दो।" इस प्रकार की भावना ओपन रूप में जब

हमारी मानसिकता में फैली हुई है, तो इससे वुैदेव कुटुम्बकम की भावना खत्म होती है। हमें इस पर संवेदनशीलता के साथ बहस करनी होगी। यह देखना होगा कि अनुसूचित जाति के बालक के साथ या अनुसूचित समाज के साथ हम कितना मानवीय व्यवहार करने जा रहे हैं।

सात साल के बाद हम रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। हमारे तमाम साथियों ने अच्छी तरह से बोला है। तमाम साथियों ने यहां तक बोला है कि कुछ कानूनी रूकावटें आती हैं, लेकिन उन कानूनी रूकावटों को अनुसूचित जाति का वह व्यक्ति जो गांव में रह रहा है, कैसे दूर कर सकता है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस कमीशन की रिपोर्ट को जितनी जल्दी हो अच्छे तरीके में, स्कूल की एजुकेशन के लिए, जॉब-एम्प्लॉयमेंट के लिए लैंड डेवलपमेंट के लिए, लैंड डिस्ट्रिब्यूशन के लिए एक्वजीशन आफ लैंड के लिए सोचना जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Now the discussion is over. The hon. Minister will reply on Mondy. I adjourn the House till 11 a.m. tomorrow, the 4th December, 1998.

The House then adjourned at fifty-eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 4th December, 1998.

GIPRRND—1889GIPRR/99—300 Copies